समाहरणालय, मधेपुरा।

(जिला शस्त्र शाखा)

-: आदेश :-

श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा के नाम से एक एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2005(शंकरपुर थाना) निर्गत है। इनके पत्नी श्रीमती प्रभा कुमारी द्वारा दिनांक 05-10-2013 को एवं 26-11-2013 को एक आवेदन पत्र समर्पित कर सूचित किया है कि इनके पति अस्वस्थ रहने के कारण ईलाज कराने बाहर गए हैं। ईलाज से वापस आने के बाद शस्त्र सत्यापन करवाने की बात अंकित किया है। श्री अरविन्द कुमार के द्वारा दिनांक 30-12-2013 का हस्ताक्षरित आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें अपने पत्नी द्वारा समर्पित आवेदन को पुष्ट करते हुए बायोडाय समर्पित किया है। इन्होंने कारण पृच्छा स्वीकार करते हुए आरोप से मुक्त करने का निवेदन किया गया है।

विदित हो कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा समर्पित करने हेतु दिनांक 04-10-2013 एवं 05-10-2013 निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। उल्लेखित तिथि को अनुज्ञप्तिधारी अपने शस्त्र का सत्यापन नहीं कराए। पुनः छूटे हुए शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लिए दिनांक 19-10-2013 निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को भी उपस्थित होकर श्री कुमार अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं। नैसर्गिक न्याय के तहत इस कार्यालय के ज्ञापांक 562 दिनांक 20-11-2013 के द्वारा पुनः नोटिस निर्गत करते हुए भौतिक सत्यापन हेतु 26-11-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उक्त तिथि को भी स्वयं उपस्थित नहीं हुए एवं भौतिक सत्यापन नहीं कराये। श्री कुमार की पत्नी द्वारा दिनांक 26-11-2013 को आवेदन प्रत्र समर्पित कर पुरानी बातों को ही दुहराया गया है। बार-बार नोटिस निर्गत करने के वावजूद भी अनुज्ञप्तिधारी स्वयं उपस्थित नहीं हुए हैं। फलस्वरूप इस कार्यालय के ज्ञापांक 110 दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली 1962 के नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति शर्त्त 9ए का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2005(शंकरपुर थाना) को निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इनके पत्नी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा आवेदन के साथ संलग्न पटना गन हाउस, पटना के शस्त्र जमा रसीद सं0-923 दिनांक 26-09-2013 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारी बिना सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त किए अपनेनाम से निर्गत एन.पी.बोर रायफल अनुज्ञप्ति सं0-07/2001(शंकरपुर थाना) पर धारित रायफल सं0-ए.बी.02-3426 को पटना गन हाउस, पटना में जमा कर दिए हैं। यह अनुज्ञप्ति शर्त्तों का सरासर उल्लंघन है। अनुज्ञप्तिधारी का यह भी कहना है कि दिनांक 15-11-2013 को पटना स्थित निजी क्लीनिक में ईलाजरत था, जबकि भौतिक सत्यापन की तिथि ईलाजरत अवधि से पहले भौतिक सत्यापन की तिथि यथा 4.1.2013, 5.10.2013, 19.10.2013 निर्धारित की गई थी। उसके पश्चात् भी अंतिम मौका देते हुए इस कार्यालय के ज्ञापांक 562 दिनांक 20-11-2013 के द्वारा दिनांक 26-11-2013 की तिथि निर्धारित करते हुए नोटिस जारी किया गया। उसके वावजूद भी उपस्थित होकर अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नहीं कराये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन कराने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जो अनुज्ञापन प्राधिकार के आदेश की अवहेलना के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम-1959 की सुसंगत धारा एवं अनुज्ञप्ति शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन है।

अंचल अधिकारी, शंकरपुर एवं थानाध्यक्ष, शंकरपुर द्वारा उपर्युक्त निर्धारित तिथियों यथा 19-10-2013 को किए गए शस्त्र का भौतिक सत्यापन उपरान्त अपना संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन समर्पित किया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री अरविन्द कुमार अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नही कराए हैं तथा ये People Refresetive Act के अन्तर्गत शंकरपुर थाना कांड सं0-23/2009 में फरार चल रहे हैं। इनके विरूद्ध कुर्की/जप्ती की कार्रवाई हो चुकी है। जिला स्तर से नोटिस निर्गत कर बार-बार मौका दिए जाने के वावजूद भी शस्त्र का भौतिक सत्यापन नही कराया जाना, अनुज्ञप्तिधारी के मनमानेपन का द्योतक है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 के तहत लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु अंचल अधिकारी, शंकरपुर एवं थानाध्यक्ष, शंकरपुर से प्राप्त संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा द्वारा समर्पित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-02/2005(शंकरपुर थाना) को रद्द किया जाता है तथा उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे मूल अनुज्ञप्ति जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा एवं धारित रिवाल्वर सं0-ए.बी. 02-3426 को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर शंकरपुर थाना या बिहार गन हाउस, मधेपुरा में जमा करना सुनिश्चित करें।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि वे "रद्द" प्रवृष्टि कार्यालय में संधारित मूल अनुज्ञप्ति पंजी एवं अनुज्ञप्तीधारी द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त में करवा कर हस्ताक्षर पृष्टांकित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 109 /शस्त्र, दिनांक 19-03-2014.

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ अंचल अधिकारी, शंकरपुर/ थानाध्यक्ष, शंकरपुर/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री अरविन्द कुमार पे0 श्री छेदी प्रसाद यादव, ग्राम मौजमा थाना शंकरपुर, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

18/3/14

जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।